

भारत में भ्रामक वजिजापनों का वनियमन

प्रलिमिस के लयि:

[भारत का सर्वोच्च न्यायालय](#), [केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण](#), [उपभोक्ता संरक्षण अधनियम, 2019](#), भारतीय वजिजापन मानक परषिद

मेन्स के लयि:

उपभोक्ता अधिकार और अनुचति व्यापार प्रथाओं की रोकथाम, भ्रामक वजिजापनों और समर्थनों की रोकथाम, वजिजापन नयिम एवं सार्वजनकि स्वास्थ्य संबंधी चतिाएँ

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्योँ?

उपभोक्ताओं को भ्रामक [वजिजापनों](#) से बचाने के लयि [भारत के सर्वोच्च न्यायालय](#) ने वजिजापनदाताओं को मीडिया में उत्पादों का प्रचार करने से पहले [स्व-घोषणा प्रस्तुत](#) करने के नरिदेश जारी कयि हैं ।

- आगे के घटनाक्रम में केंद्र सरकार ने आयुष मंत्रालय के पत्र को वापस ले लयिा है, जसिमें [औषधि और प्रसाधन सामग्री नयिम, 1945 के नयिम 170 को तत्काल प्रभाव से "लोपति"](#) कयिा गया था ।

नोट:

- नयिम 170 लाइसेंसगि अधिकारियों की मंजूरी के बनिा [आयुर्वेदकि, सदिध या यूनानी दवाओं](#) के वजिजापनों पर रोक लगाता है ।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख नरिदेश क्यो हैं?

- **स्व-घोषणा प्रस्तुत करना:**
 - मीडिया में उत्पादों का प्रचार करने से पूर्व वजिजापनदाताओं को **स्व-घोषणाएँ प्रस्तुत** करनी होंगी ।
 - उपभोक्ताओं को गुमराह करने से रोकने के लयि वजिजापनदाता अब यह घोषति करने के लयि बाध्य हैं क उनके वजिजापन उनके उत्पादों के बारे में भ्रामक या गलत जानकारी नहीं देते हैं ।
- **वजिजापनदाताओं के लयि ऑनलाइन पोर्टल:**
 - TV वजिजापन चलाने के इच्छुक वजिजापनदाताओं को **'ब्रॉडकास्ट सेवा' पोर्टल** पर घोषणाएँ अपलोड करनी होंगी, जो **सूचना और प्रसारण मंत्रालय** से प्रसारण-संबंधी गतिविधियों के लयि अनुमति, पंजीकरण एवं लाइसेंस का अनुरोध करने के लयि हतिधारकों के लयि वन-स्टॉप सुवधि के रूप में कार्य करता है ।
 - प्रटि वजिजापनदाताओं के लयि एक समान पोर्टल स्थापति कयिा जाएगा ।
- **समर्थनकर्त्ताओं की ज़मिमेदारी:**
 - सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मशहूर हस्तियों और उत्पादों का समर्थन करने वाली सार्वजनकि हस्तियों को **ज़मिमेदारी से काम करना चाहयि** ।
 - भ्रामक वजिजापन से बचने के लयि वजिजापनदाताओं को उन उत्पादों के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहयि, जनिका वे प्रचार करते हैं ।
- **उपभोक्ता संरक्षण सुनश्चिति करना:**
 - उपभोक्ताओं के लयि भ्रामक वजिजापनों की रपौट करने के लयि एक पारदर्शी प्रक्रयिा स्थापति करना और सुनश्चिति करना क उन्हें शकियत की स्थति एवं परिणामों पर अपडेट प्राप्त हो ।

भ्रामक वजिजापनों के हाल ही में कौन-से मामले सामने आए हैं?

- **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India- FSSAI)** की वजिजापन नगिरानी समिति ने पछिले छह महीनों में **खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों (FBO)** द्वारा भ्रामक दावों के 32 मामलों की पहचान की, जिससे ऐसे उल्लंघनों की कुल संख्या 170 हो गई।
 - **अपराधियों की विविधता:** उल्लंघनकर्ता वभिन्न उत्पाद श्रेणियों तक अपनी पहुँच बनाए हुए हैं, जिनमें स्वास्थ्य पूरक, जैविक उत्पाद और स्टेपल (मूलभूत भोज्य पदार्थ) शामिल हैं।
- **सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में भ्रामक वजिजापन प्रसारित करने के लिये पतंजलि आयुर्वेद को फटकार** लगाई, जिसके कारण इसकी मार्केटिंग गतिविधियों पर प्रतर्बिध लगा दिया गया।
 - **इंडियन मेडिकल एसोसिएशन** ने पतंजलिपर **एलोपैथिक चिकित्सा** को बदनाम करने और **कोविड-19** के दौरान टीकों के बारे में गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया।
 - आरोपों के कारण **ओषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय वजिजापन) अधिनियम, 1954** और **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** के उल्लंघन का हवाला देते हुए कानूनी बहस हुई।

भ्रामक वजिजापन नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन कैसे करते हैं?

- **सत्यता का उल्लंघन:** ईमानदारी और सच्चाई आवश्यक नैतिक सिद्धांत हैं, जनिहें वजिजापन सहित सभी व्यावसायिक प्रथाओं का मार्गदर्शन करना चाहिये।
 - ये वजिजापन उपभोक्ताओं की धारणाओं में हेरफेर करते हैं और व्यावसायिक लाभ के लिये उनकी कमजोरियों का लाभ उठाते हैं; वे व्यक्तियों को गलत आधार पर खरीदारी संबंधी निर्णय लेने के लिये प्रेरित करते हैं।
- **नष्पिकषता और न्याय:** भ्रामक वजिजापन एक असमान क्षेत्र बनाते हैं, जिससे उन कंपनियों को अनुचित लाभ मिलता है जो नैतिक वजिजापन को प्राथमिकता देने वाली कंपनियों की तुलना में भ्रामक गतिविधियों में संलग्न होती हैं।
 - यह बाज़ार में नष्पिकषता और न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह ईमानदार प्रतस्पर्धियों को हानि पहुँचाता है तथा उपभोक्ता के विश्वास को कमजोर करता है।
 - **उदाहरण:** कंपनियों टिकाऊ उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये झूठे पर्यावरणीय दावे (**ग्रीनवॉशिंग**) कर रही हैं, जबकि उनके प्रतस्पर्धी अपने उत्पादक के पर्यावरणीय प्रभाव का खुलासा करते हैं।
- **उपभोक्ता हानि:** भ्रामक वजिजापनों से उन उपभोक्ताओं को वित्तीय हानि हो सकती है जो झूठे दावों के आधार पर उत्पाद या सेवाएँ खरीदते हैं, जिसके परिणामस्वरूप असंतोष उत्पन्न होता है।
 - यदि वजिजापति उत्पाद अथवा सेवाएँ संभावित रूप से हानिकारक या अप्रभावी हैं तो यह उपभोक्ताओं के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को भी हानि पहुँचा सकता है।
- **विश्वास में कमी:** भ्रामक वजिजापनों के बार-बार संपर्क में आने से उत्पादों, ब्रांडों और वजिजापनों में विश्वास कम हो जाता है, जिससे व्यापार के साथ-साथ समाज में अखंडता का नैतिक सिद्धांत भी कमजोर हो जाता है।
 - जब **उपभोक्ता ठगा हुआ महसूस करते हैं**, तो उनका बाज़ार की अखंडता पर से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट होने लगता है।

भारत में भ्रामक वजिजापन कैसे नियंत्रित होते हैं?

- **भ्रामक वजिजापन की परिभाषा:**
 - **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** की धारा 2 (28) के तहत एक **भ्रामक वजिजापन** को ऐसे किसी भी वजिजापन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो:
 - किसी उत्पाद या सेवा का गलत विवरण प्रदान करता है;
 - उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाली झूठी गारंटी प्रदान करता है;
 - व्यक्ति प्रतनिधित्व के माध्यम से एक अनुचित व्यापार अभ्यास;
 - जानबूझकर उत्पाद के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करता है।
- **केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण:**
 - **केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)**, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत कार्य करता है।
 - **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** की धारा 10 के तहत स्थापित, यह उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित मामलों को वनियमिति करता है।
 - यह अधिनियम CCPA को झूठे या भ्रामक वजिजापनों को रोकने और उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार देता है।
 - **दशा-निर्देशों का प्रवर्तन:**
 - CCPA '**भ्रामक वजिजापनों की रोकथाम और भ्रामक वजिजापनों के लिये समर्थन हेतु दशा-निर्देश, 2022**' लागू करता है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार जारी किये गए थे।
 - **दशा-निर्देश का उद्देश्य:**
 - दशानिर्देश यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि उपभोक्ताओं को अप्रमाणित दावों, अतिरिक्त वादों, गलत

सूचना और झूठे दावों से मूर्ख नहीं बनाया जा रहा है।

- ऐसे वजिजापन उपभोक्ताओं के विभिन्न अधिकारों जैसे सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार तथा संभावित असुरक्षा उत्पादों एवं सेवाओं के वरिद्ध सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।

• **दशानिर्देश के प्रावधान:**

- दशानिर्देश "चारा वजिजापन", "सरोगेट वजिजापन" तथा "नःशुल्क दावा वजिजापन" को परिभाषित करते हैं।
- वे वजिजापनों में बच्चों को अतिरिक्ति या अप्रमाणित दावों से बचाने के लिये प्रावधान भी रखते हैं।
 - बच्चों को लक्षित करने वाले वजिजापनों में उन उत्पादों के लिये खेल, संगीत या सनिमा से जुड़ी हस्तियों को शामिल करने पर प्रतिबंध है, जिनके लिये स्वास्थ्य चेतना की आवश्यकता होती है अथवा जिन्हें बच्चों द्वारा नहीं खरीदा जा सकता है।
- वजिजापनों में अस्वीकरणों में महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छपाई जानी चाहिये या भ्रामक दावों को सही करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिये।
- दशानिर्देश वजिजापनों में अधिक पारदर्शिता एवं स्पष्टता लाने के लिये निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं, वजिजापनदाताओं के साथ ही वजिजापन एजेंसियों के कर्तव्यों को भी रेखांकित करते हैं।
 - इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को तथ्यों के आधार पर सूचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना है।

• **उल्लंघन होने पर जुर्माना:**

- CCPA भ्रामक वजिजापनों के लिये निर्माताओं, वजिजापनदाताओं तथा समर्थनकर्त्ताओं पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है।
 - इसके बाद उल्लंघन करने पर जुर्माना 50 लाख रुपए तक हो सकता है।
- प्राधिकरण किसी भ्रामक वजिजापन के समर्थनकर्त्ता को 1 वर्ष तक के लिये कोई भी समर्थन करने से प्रतिबंधित कर सकता है और साथ ही बाद के उल्लंघनों के लिये नषिध को 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

■ **भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI):**

- भ्रामक वजिजापन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा-53 के अंतर्गत आता है, जो इसे दंडनीय प्रकृति बनाता है। FSSAI वजिजापनों को सच्चा, स्पष्ट और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित होना अनिवार्य करता है।
- FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक (वजिजापन एवं दावे) विनियम, 2018 का उपयोग करता है जो विशेष रूप से भोजन (संबंधित उत्पादों) से संबंधित है, जबकि CCPA के नियम वस्तुओं, उत्पादों एवं सेवाओं को कवर करते हैं।

■ **वजिजापन को नियंत्रित करने वाले विधान:**

- **भारतीय वजिजापन मानक परिषद (ASCI):**
 - यह भारत में वजिजापन नैतिकता लागू करने के लिये एक स्व-विनियमित तंत्र के रूप में स्थापित एक गैर-वैधानिक न्यायाधिकरण है।
 - यह अपनी वजिजापन संहिता के आधार पर वजिजापनों का मूल्यांकन करता है, जिसे **ASCI कोड** भी कहा जाता है, जो भारत में देखे जाने वाले वजिजापनों पर लागू होता है, भले ही वे भारत से बाहर के हों और भारतीय उपभोक्ताओं के लिये निर्देशित हों।
- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986:**
 - उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा एवं कीमत के बारे में सूचित होने का अधिकार देता है।
 - धारा 2(R) अनुचित व्यापार प्रथाओं की परिभाषा के तहत झूठे वजिजापनों को शामिल करती है।
 - भ्रामक वजिजापनों के वरिद्ध नविरण प्रदान करता है।
- **केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और केबल टेलीविज़न संशोधन अधिनियम 2006:**
 - उन वजिजापनों के प्रसारण पर रोक लगाता है जो निर्धारित वजिजापन कोड के अनुरूप नहीं हैं।
 - यह सुनिश्चित करता है कि वजिजापन नैतिकता, शालीनता या धार्मिक संवेदनशीलता को ठेस न पहुँचाएँ।
- **तंबाकू वजिजापन पर प्रतिबंध:**
 - यह सभी प्रकार के मीडिया वजिजापनों के लिये तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वजिजापन पर प्रतिबंध लगाता है।
 - सिगरेट और अन्य **तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003** के तहत लागू।
- **औषधि और चमत्कारिक उपचार (आकषेणीय वजिजापन) अधिनियम, 1954 तथा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940:**
 - यह दवा वजिजापनों को नियंत्रित करता है। दवाओं के वजिजापन के लिये परीक्षण रिपोर्ट के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।
 - उल्लंघन करने पर दिये जाने वाले दंड में जुर्माना और कारावास शामिल हैं।
- **प्रसवपूर्व नदिन तकनीक का विनियमन:**
 - **ग्रभधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व नदिन-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषिध) अधिनियम, 1994** के तहत प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण से संबंधित वजिजापनों पर प्रतिबंध लगाता है।
 - अल्पवय व्यक्ति (अपहानकित प्रकाशन) अधिनियम, 1956 के तहत हानिकारक प्रकाशनों का वजिजापन करना दंडनीय है।
- **भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत वजिजापनों की आपराधिकता:**
 - **भारतीय दंड संहिता (IPC)** अश्लील, मानहानिकारक या भड़काऊ वजिजापनों पर प्रतिबंध लगाती है।
 - हिसा, आतंकवाद या अपराध भड़काने से संबंधित अपराध IPC प्रावधानों के तहत अवैध और दंडनीय हैं।

उपभोक्ता संरक्षण के लिये प्रमुख पहलें:

- **एकीकृत शिकायत नविरण तंत्र (INGRAM) पोर्टल**
- **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)**
- **जागो ग्राहक जागो अभियान**
- **उपभोक्ता कल्याण कोष**

- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद
- उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2021
- उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020
- राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस (24 दिसंबर)
- राष्ट्रीय और राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन।

????? ???? ????:

प्रश्न. भारत में वजिापन प्रथाओं को नयितरति करने वाले वधायी ढाँचे का वर्णन कीजिये। वजिापन में नैतिक मानकों को बनाए रखने में ये कानून और संस्थान कैसे योगदान देते हैं?

और पढ़ें: [भ्रामक वजिापन पर पतंजलि भामला](#)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न: भारत में कानून के प्रावधानों के तहत 'उपभोक्ताओं' के अधिकारों/वशेषाधिकारों के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2012)

1. उपभोक्ताओं को खाद्य परीक्षण के लिये नमूने लेने का अधिकार है।
2. जब कोई उपभोक्ता किसी उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज़ कराता है तो उसे कोई शुल्क नहीं देना होता है।
3. उपभोक्ता की मृत्यु के मामले में उसका कानूनी उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज़ करा सकता है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: c

??????:

प्रश्न. 'सामाजिक संजाल स्थल' (Social Networking Sites) क्या होती हैं और इन स्थलों से क्या सुरक्षा उलझनें प्रस्तुत होती हैं? (2013)